सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फा0ट्रै0) नगर

पीठासीन अधिकारी :– राजवीरसिंह यादव आर0ए0एस0

मुकद्मा नम्बर :– 61 / 2017

1. मोहनलाल | पिस0 रामसुख जाति जाटव नि0 ग्राम जहानपुर तह0 राजगढ (अलवर)
2. सेहनलाल |

—— वादी

बनाम

1. सेनी पुत्री रामसुख जाति जाटव नि0 ग्राम जहानपुर तह0 रामगढ (अलवर)

—— तरतीवी प्रति0

2. जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर
3. तहसीलदार तहसील नगर

—— प्रति0

दावा अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री जाकिर हुसैन, अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक 30 / 11 / 2017

वादीगण ने यह दावा इस आश्य का संस्थित किया है कि विवादित आ0ख0नं0 1803 / 0.48, 1804 / 0.39 बाके ग्राम बास डायना तह0 नगर में स्थित है । हाल आ0ख0नं0 1803 / 0.48 साविक ख0नं0 1571मिन व 1570मिन से एवं हाल ख0नं0 1804 / 0.39 साविक ख0नं0 1571 से बनाये गये हैं जो वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी की पैतृक आराजी है जो वादी0 के बुजुर्गों की खुदकाश्त की आराजी है जिस पर वे सम्वत् 2012 से पूर्व से ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जो कानून के सिद्धान्तों के खिलाफ है । मौके पर आज भी वादीगण का कब्जा काश्त है। वादीगण के नाम हो रहे गैरखातेदारी के इन्द्राज से वादीगण को सख्त हकतलफी है विदि वजह वे गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं । अंत में निवेदन किया है कि दावा वादीगण डिक्री फरमाया जाकर आ0ख0नं0 1803 / 0.48, 1804 / 0.39 बाके ग्राम बासडायना तह0 नगर पर वादीगण एवं तरतीवी प्रति0 को खातेदार घोषित किया जावे ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को तलब किया गया । दिनांक 30.06.17 को पक्षकारान वादी0 एवं तरतीवी प्रतिवादी सोनी ने राजीनामा प्रस्तुत किया ।

वादीगण ने अपने दावा के साथ नकल जमाबंदी सं0 2072–75, नकल जमाबंदी सं0 2064–67, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2072, नकल जमाबंदी सं0 2016–19, नकल खसरा पत्रक भू–प्रबंध विभाग, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2013–16 किता–2, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2017–20 किता–2 दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं ।

हमने वादीगण के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । नकल जमाबंदी सं0 2072–75 बाके बासडायना के खाता सं0 473 में आ0ख0नं0 1803/0.48, 1804/0.39 की बावत् – ''मोहनलाल, सोहनलाल पि0 रामसुख व सोनी दुख्तर रामसुख कौम जाटव सा0 जहानपुर गैर खातेदार '' दर्ज है । नकल जमाबंदी सं0 2064–67 के खाता सं0 462 पर ख0नं0 1803/0.48, 1804/0.39 की बावत् – ''मोहनलाल, सोहनलाल पिस0 रामसुख, सोनी दुख्तर रामसुख कौम चमार सा0 जहानपुर गैरखातेदार '' दर्ज है । नकल खसरा पत्रक भू प्रबंध विभाग के अनुसार हाल ख0नं0 1803/0.48 साविक ख0नं0 1571मिन एवं 1500मिन से तथा हाल ख0नं0 1804/0.39 साविक ख0नं0 1571मिन/4.12 से बनाया जाना साबित होता है तथा कॉलम नं0 23, 24 नाम कृषक में रामसुख पुत्र मवासी जाति चमार सा0 जहानपुर गैरखातेदार सम्वत् 2003 दर्ज होना पाया जाता है । इस प्रकार राजस्व रिकार्ड के विवेचन से विवादित आराजी वादीगण की पैतृक आराजी है जो गैरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है, वादीगण द्वारा एक सह खातेदार सोनी पुत्री रामसुख को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बना कर खातेदारी बावत् अनुतोष चाहा है । इसी आशय का राजीनामा प्रस्तुत कर पत्रावली शामिल कराया गया है जिससे यह स्पष्ट नही है कि वादीगण किससे क्या अनुतोष चाहते हैं । इस प्रकार वादीगण का दावा खारिज किये जाने योग्य है । अतः आदेश है कि –

दावा वादीगण बावत् गैरखातेदारी से खातेदारी खारिज किया जाता है । इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर

निर्णय आज दिनांक 30/11/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर